न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 186/2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

जानकी मुंडा – विक्रेता

श्री जकरिया कंडुलना – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
05.12.20	**आदेश** आवेदक जानकी मुंडा पिता स्व0 गुजरू मुंडा ग्राम–टुटीकेल, पोस्ट–सोदे, थाना रनियां, जिला खूँटी ने श्री जकरिया कंडुलना पिता स्व0 गोस्नर कंडुलना ग्राम–बेल्सियागढ़, पोस्ट–रनियां, थाना रनियां, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है। ग्राम: टुटीकेल; थाना नं0: 156; खाता नं0: 18; खेसरा सं0: 1041; रकबा (एकड़ में): 0.25 अंचल अधिकारी, रनियां के पत्रांक 52 दिनांक 08.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता द्वारा भूमि बिक्री करने के पश्चात आवेदक के हिस्से में 2.00 डी0 भूमि बचता है। इस प्रकार पर्याप्त भूमि नहीं बचने के कारण आवेदक भूमिहीन के श्रेणी में आ जाते है। अंचल अधिकारी द्वारा भूमि विक्रय हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है। अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 05/12/20 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी। (हस्ताक्षर) 05/12/20 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
टुटीकेल	156	18	1041	0.25